





मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्  
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)  
59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक / 7113 / NR-4//11

भोपाल, दिनांक 5/7/11

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.  
जिला समस्त (म.प्र.)


विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 के सीए ऑडिट संबंधी।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि दिनांक 31 जुलाई 2011 तक सीए ऑडिट कराने के निर्देश परिषद् से दिए गये हैं। यह समय सीमा आवश्यक है ताकि ऑडिट कार्य जहां एक ओर समय सीमा में समाप्त हो, व्यय के सही अंकक्षित आंकड़े प्राप्त हों वहीं दूसरी ओर भारत सरकार से राशि प्राप्त होने में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो।

इसी परिप्रेक्ष्य में आप अवगत है कि व्यय के आंकड़े का MIS अनिवार्य है एवं आपके जिले के व्यय को आपने MIS पर अंकित भी किया है। MIS में अंकित व्यय एवं सीए ऑडिट होने के उपरांत वित्त वर्ष 2010-11 का व्यय का आंकड़ा बराबर होना चाहिये ताकि वित्त वर्ष 2010-11 का MIS शेष न रहें एवं अंकक्षित आंकड़े से उसका मिलान भी हों।

अतः अनिवार्य रूप से आपके जिले की सीए ऑडिट रिपोर्ट के साथ ही संलग्न प्रपत्र को 31 जुलाई 2011 तक भेजना सुनिश्चित करें।

  
(शिव शेखर शुक्ला)  
आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्  
मुख्यालय, भोपाल

सीए ऑडिट से प्राप्त व्यय आंकड़े एवं MIS किए गये आंकड़ों का तुलनात्मक पत्रक

(राशि रू. लाखों में)

वित्त वर्ष 2010-11 का प्रारंभिक शेष	वित्त वर्ष 2010-11 में कुल उपलब्ध राशि	वित्त वर्ष 2010-11 का कुल व्यय	वित्त वर्ष 2010-11 में अंत पर शेष राशि	कॉलम 4 के विरुद्ध किए गये MIS का आंकड़ा	कॉलम 3-5 का अंतर	अंतर रहने का कारण
1	2	3	4	5	6	7

नोट - कॉलम 1 से 4 तक के आंकड़े सीए ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर होने चाहिये एवं कॉलम 5 का आंकड़ा MIS की रिपोर्ट के आधार पर होना चाहिये MIS की सिस्टम से निकली हुई रिपोर्ट भी संलग्न की जाये।

लेखाधिकारी

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक

जिला कार्यक्रम समन्वयक